**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्नत संख्या 3207**

**16 मार्च, 2015 को उत्तेर के लिए**

**इस्पात क्षेत्र का विकास**

3207. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

श्री अनंतकुमार हेगडे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के इस्पात विनिर्माण उद्योग अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाने के कारण वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निर्भर होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस्पात क्षेत्र को घरेलू क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय इस्पात क्षेत्र की सक्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्त र**

**इस्पायत और खान राज्य मंत्री** **श्री विष्णुे देव साय**

(क) और (ख): भारत में इस्पा्त एक नियंत्रण मुक्तव क्षेत्र है। इस क्षेत्र में निवेश संबंधी निर्णय निजी और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र दोनों उपक्रमों के रूप में प्रत्यौक निवेशकों द्वारा भारत सरकार पर निर्भर न करते हुए अपने वाणिज्यिक विवेक तथा अपनी इक्विटी और ऋण से बाजार गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं। इस्पावत मंत्रालय इस्पाणत निवेशकों तथा भारत सरकार और राज्य् सरकारों के अन्यर मंत्रालयों के बीच एक सुविधादाता एवं समन्वायकर्ता की भूमिका निभाता है।

(ग) और (घ): देश में इस्पानत उद्योग की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए लौह अयस्कय का पर्याप्तए उत्पाकदन होता है। तथापि, गोवा और उड़ीसा राज्यों में लीज नवीनीकरण तथा कर्नाटक राज्य् में खनन लीजों के निरस्ती करण के संबंध में उच्च तम न्यासयालय के निर्णयों के कारण लौह अयस्कन की क्षेत्रीय स्तलर पर कमी हुई है। विगत कुछ वर्षों के दौरान लौह अयस्का का उत्पायदन और सूचित खपत निम्नअवत है:

(मिलियन टन में)

| वर्ष | उत्पादन | सूचित खपत |
|---|---|---|
| 2011-12 | 168.58 | 100.57 |
| 2012-13 | 136.62 | 103.40 |
| 2013-14 (पी) | 152.43 | 110.50 |

(स्रोत : भारतीय खान ब्यूमरो)

(ड़) एक नियंत्रणमुक्त् क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। तथापि, सरकार ने इस्पा्त उद्योग को वैश्विक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए निम्न लिखित कदम उठाए हैं:

(i) इस्पा0त क्षेत्र में विभिन्न निवेश परियोजनाओं के बीच समन्वकयन और उनके क्रियान्वतयन में तेजी लाने के लिए इस्पाषत मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) स्थातपित किया गया है। इस्पाएत क्षेत्र समेत विनिर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में 1000 करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विभिन्नक स्वीकृतियों में तेजी लाने/इनमें विलम्बश करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत एक परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) का गठन किया गया हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इस्पापत उत्पानदन क्षमताएं शीघ्र ही स्थामपित होगीं तथा लागत एवं समय वृद्धि मे कमी आयेगी।

(ii) घरेलू इस्पा त उद्योग हेतु घरेलू मूल्यष वर्धन बढ़ाने और लौह अयस्का की उपलब्ध0ता सुधारने के लिए लौह अयस्कप के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है तथा लौह अयस्कह पैलेटों के निर्यात पर यथा मूल्य् 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्कक गया है।

***